

बिहार आरक्षण कानून और 50% की सीमा का उल्लंघन

प्रलिस के लयि:

बिहार आरक्षण कानून और 50% सीमा का उल्लंघन, **सर्वोच न्यायालय (SC)**, अनुसूचति जाति, अनुसूचति जाति और अन्य पछिड़ा वर्ग, 77वाँ संवैधानकि संशोधन अधनियम, 1995 ।

मेंस के लयि:

बिहार आरक्षण कानून और 50% सीमा का उल्लंघन, वभिनिन कषेत्रों में वकिास के लयि सरकारी नीतयिँ एवं हसूतकषेप तथा उनके योजना एवं कारयान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे ।

स्रोत: द हट्टि

चर्चा में कयों?

हाल ही में बिहार वधानसभा में बिहार आरक्षण कानून पारति कयिा गया, **जसिसे राज्य में नौकरयिँ और शकिषा में आरक्षण की मात्रा** बढ़कर 75% हो गई, जो **सर्वोच न्यायालय (SC)** द्वारा बरकरार रखे गए 50% नयिम का उल्लंघन है ।

- इसने भारत में आरक्षण की अनुमेय सीमा के बारे में बहस छेड़ दी है, वशिष रूप से मंडल आयोग मामले (इंदरा साहनी, 1992) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नरिधारति "50%" सीमा के मद्देनज़र ।

बिहार आरक्षण कानून की मुख्य वशिषताएँ कया हैं?

- ये कानून हैं बिहार पदों और सेवाओं में रकितयिँ का आरक्षण (अनुसूचति जाति, अनुसूचति जनजाति और अन्य पछिड़े वर्गों के लयि) संशोधन अधनियम 2023 तथा बिहार (शैकषकि संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण अधनियम, 2023 ।
- संशोधति अधनियम के तहत, दोनों मामलों में कुल 65% आरक्षण होगा, जसिमें अनुसूचति जाति के लयि 20%, अनुसूचति जनजाति के लयि 2%, पछिड़ा वर्ग के लयि 18% और अत्यंत पछिड़ा वर्ग के लयि 25% आरक्षण होगा ।
- इसके अलावा केंद्रीय कानून के तहत पहले से मंजूरी प्राप्त EWS (आर्थकि रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के लोगों) को 10% आरक्षण मलिता रहेगा ।

50% नयिम कया है?

- **परचिय:**
 - 50% नयिम, जसि ऐतिहासकि रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है, यह नरिदेश देता है क बिहार में नौकरयिँ या शकिषा के लयि आरक्षण कुल सीटों या पदों के 50% से अधिक नहीं होना चाहयि ।
 - प्रारंभ में वर्ष 1963 के एम.आर. बालाजी मामले में सात-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा स्थापति, आरक्षण को संवैधानकि ढाँचे के तहत एक "अपवाद" या "वशिष प्रावधान" माना जाता था, जसिसे उपलब्ध सीटों की अधिकितम 50% तक सीमति थी ।
 - हालाँकि आरक्षण की समझ वर्ष 1976 में वकिसति हुई जब यह स्वीकार कयिा गया क आरक्षण कोई अपवाद नहीं है बल्कि समानता का एक घटक है । परपिरेकष्य में इस बदलाव के बावजूद 50% की सीमा अपरविरतति रही ।
 - वर्ष 1990 में मंडल आयोग मामले में नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने 50% की सीमा की फरि से पुष्टि की और कहा कयिह एक बाध्यकारी नयिम है, न क केवल वविक का मामला है । हालाँकि यह अपवाद के बनिा कोई नयिम नहीं है ।
 - राज्य हाशयि पर और सामाजकि मुख्यधारा से बाहर कयि गए समुदायों को आरक्षण प्रदान करने के लयिनिशिष्ट परस्थितयिँ में सीमा को पार कर सकते हैं, वशिष रूप से भौगोलकि स्थतकि के बावजूद ।
 - इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय की 103वें संवैधानकि संशोधन की हालयिा पुष्टि आर्थकि रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लयि अतरिकित 10% आरक्षण को मान्य करती है ।

- इसका मतलब है कि **50% की सीमा केवल गैर-EWS आरक्षण पर लागू** होती है और राज्यों को EWS आरक्षण सहित कुल 60% सीटें/पद आरक्षण करने की अनुमति है।

■ **अन्य राज्य सीमा पार कर रहे हैं:**

- अन्य राज्य जो EWS कोटा को छोड़कर भी पहले ही 50% की सीमा को पार कर चुके हैं, वे हैं **छत्तीसगढ़ (72%), तमिलनाडु (69%)**, वर्ष 1994 के अधिनियम के तहत संवधान की नौवीं अनुसूची के तहत संरक्षित) और कई उत्तर-पूर्वी राज्य जसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मज़ोरम और नगालैंड (80% प्रत्येक) शामिल हैं।
- लक्षद्वीप में **अनुसूचित जनजातियों के लिये 100% आरक्षण** है।
- **महाराष्ट्र और राजस्थान** के पछिले प्रयासों को न्यायालयों ने खारज़ कर दिया है।

संवधान और आरक्षण

- **77वाँ संवधान संशोधन अधिनियम, 1995:** इंदरा साहनी मामले में कहा गया था कि आरक्षण केवल प्रारंभिक नयुक्तियों में होगा, पदोन्नति में नहीं।
- हालाँकि संवधान में अनुच्छेद 16(4A) को जोड़ने से राज्य को SC/ST कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के प्रावधान करने का अधिकार मिला गया, अगर राज्य को लगता है कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- **81वाँ संवधान संशोधन अधिनियम, 2000:** इसमें अनुच्छेद 16(4B) पेश किया गया, जिसके अनुसार किसी विशेष वर्ष का रक्ति SC/ST कोटा, जब अगले वर्ष के लिये आगे बढ़ाया जाएगा, तो उसे अलग से माना जाएगा एवं उस वर्ष की नियमिति रक्तियों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा।
- **85वाँ संवधान संशोधन अधिनियम, 2001:** इसमें पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है जसै जून 1995 से पूर्वव्यापी प्रभाव से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों के लिये 'पारिणामिक वरिष्ठता' के साथ लागू किया जा सकता है।
- **संवधान में 103वाँ संशोधन (2019):** **EWS (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) के लिये 10% आरक्षण।**
- **अनुच्छेद 335:** इसके अनुसार संघ या राज्य के कार्यों से संसक्त सेवाओं और पदों के लिये नयुक्तियाँ करने में प्रशासनिक प्रभावशीलता को बनाए रखते हुए अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जातियों के सदस्यों की मांगों को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाना चाहिये।

आगे की राह

- न्यायालयों को वकिसति सामाजिक गतिशीलता, समानता सदिधांतों तथा बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य पर विचार करते हुए **50% आरक्षण सीमा का पुनर्मूल्यांकन** करना चाहिये।
- भौगोलिक सीमाओं के बावजूद, ऐतिहासिक क्षतिका सामना करने वाले समुदायों के लिये व्यापक मानदंडों को शामिल करने के लिये सामाजिक बहिष्कार से परे अपवादों का विस्तार करने पर विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है।
- **मौजूदा आरक्षण नीतियों की वसितृत समीक्षा** करना, उनकी प्रभावशीलता, प्रभाव एवं वर्तमान सामाजिक आवश्यकताओं के साथ संरेखण करना।